

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026—पौष 25, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

PHME-0030-2026-XVII-M-1

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. सम्पूर्ण नियमों में, जहाँ कहीं भी, शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" आए हों, के स्थान पर, शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा" स्थापित किए जाएं।
2. अनुसूची - एक में, समूह- "ग"- परिचर्या सेवाएं के स्थान पर, निम्नलिखित समूह स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"समूह- "ग"- परिचर्या सेवाएं

अनु क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं)	1	प्रथम श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 79900 /-लेवल 14
2.	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	7	प्रथम श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 67300 /-लेवल 13

3.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	54	द्वितीय श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/-लेवल 12
4.	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर (1)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/-लेवल 12
5.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड - दो	55	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/-लेवल 12
6.	प्राचार्य, एल.एच.व्ही.प्रशिक्षण केन्द्र (1) / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (22)	23	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 42700/-लेवल 10

- टीप :-** (1) जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.) के कुल 52 पद अर्थात् प्रत्येक जिले हेतु एक पद होगा एवं दो पद संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं की नर्सिंग शाखा के लिए होंगे, इस प्रकार कुल 54 पद होंगे। संचालनालय में पदस्थ अधिकारी सहायक संचालक (नर्सिंग) के पदनाम से जाने जाएंगे।
- (2) शासकीय सेवा के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में अभ्यर्थियों को परिचारिका/प्रसाविका (मिडवाइफ) में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
3. अनुसूची - दो में, समूह- "ग"- परिचर्या सेवाएं के स्थान पर, निम्नलिखित समूह स्थापित किया जाए, अर्थात्:

समूह-"ग"- परिचर्या सेवाएं

अनु क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तिर्था
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवाएं - प्रथम-श्रेणी	1	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	-तदैव-	7	-	100 प्रतिशत	-	-
3.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी. पी.एच.एन.ओ.)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय-श्रेणी	54	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-
4.	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण	-तदैव-	1	-	100 प्रतिशत	-	-

	केन्द्र, ग्वालियर (1)						
5.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड —दो	—तदैव—	55	—	100 प्रतिशत	—	—
6.	प्राचार्य, एल. एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1) / प्रचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (22)	—तदैव—	23	—	100 प्रतिशत	—	।।

4. अनुसूची — तीन में, समूह— “ग”— परिचर्या सेवाएं के स्थान पर, निम्नलिखित समूह स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“समूह— “ग”— परिचर्या सेवाएं

अनु. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	28 वर्ष	40 वर्ष	1. नर्सिंग सेवा में दस वर्ष का अनुभव (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन) । 2. एम.एस.सी.नर्सिंग / बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन / लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।	

टीपः— डी.पी.एच.एन.ओ. की शैक्षणिक अर्हताएं, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में किये गये संशोधनों के अनुसार होगी।”।

5. अनुसूची – चार (ख) में, समूह– “ग”– परिचर्या सेवाएं, के स्थान पर, निम्नलिखित समूह स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“समूह– “ग”– परिचर्या सेवाएं				
अनु क.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	अनिवार्य अर्हताएं तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक , नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय के लिए 1 पद)	संयुक्त संचालक , नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं)	पांच वर्ष का अनुभव।	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं – सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समकक्ष अधिकारी –सदस्य
2.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.) / नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड –दो / प्राचार्य – लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर	उप संचालक (नर्सिंग)	1.वर्तमान पद पर पांच वर्ष का अनुभव। 2 एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन/लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित रूप से स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	तदैव
3	(क) प्राचार्य, एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य, महिला	प्राचार्य ,लोक स्वास्थ्य	1. वर्तमान पद पर पांच वर्ष का अनुभव [कॉलम (2) में अंकित समूह (क) के लिए]	–तदैव–

अनु क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	अनिवार्य अर्हताएं तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी -दो) (ख)सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	2. दस वर्ष का अनुभव [कॉलम (2) में अंकित समूह (ख) के लिए]। शैक्षणिक योग्यता - एम.एस.सी. (नर्सिंग) / बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि ।	
4	(क) प्राचार्य , एल. एच.व्ही.प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी -दो) (ख)सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवाएं)	जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (डी.पी. एच.एन.ओ.)	1. नर्सिंग सेवा में दस वर्ष का अनुभव (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन)। 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन /लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित रूप से स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	तदैव
5	मेट्रन	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड - दो	1. मेट्रन के पद पर पांच वर्ष का अनुभव। 2. एम.एस.सी. नर्सिंग / बी. एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग /नर्सिंग से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि।	तदैव
6	सिस्टर ट्यूटर / सिस्टर शिक्षिका	प्राचार्य,एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	1.वर्तमान पद पर पांच वर्ष का अनुभव। 2.एम.एस.सी.नर्सिंग/ बी.एस.सी.नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/ नर्सिंग से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि।	तदैव

PHME-0030-2026-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2022, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. throughout the rules, for the words "Public Health and Family Welfare", wherever they occur, the words "Public Health and Medical Education" shall be substituted.
2. In Schedule-I, for Group-"C"-Nursing Services, the following Group shall be substituted, namely:-

"Group-"C" - Nursing Services

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	1	Class-I	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 79900/- Level-14
2.	Deputy Director, Nursing (one post for each Regional Health Office)	7	Class-I	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 67300/- Level-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	District Public Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.)	54	Class-II	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 56100/- Level-12
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (1)	1	-do-	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 56100/- Level-12
5.	Nursing Superintendent Grade-II	55	-do-	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 56100/- Level-12
6.	Principal, L.H.V. Training Centre (1)/ Principal, Woman Health Worker Training Centre (22)	23	-do-	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 42700/- Level-10

Note.- (1) There shall be total 52 posts of District Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.) i.e., one post for each District, and two posts shall be for the Nursing section of the Directorate of Health Services, in this way there shall be total 54 posts. Those who are posted in the Directorate shall be known by the post of Assistant Director (Nursing).

(2) For the Government service it shall be mandatory for the candidates to have a registration in Nursing/Midwifery in the Madhya Pradesh Nurses Registration Council.”.

3. In Schedule-II, for Group-"C"-Nursing Services, the following Group shall be substituted, namely:-

"Group-"C" - Nursing Services

S. No.	Name of post	Name of service	Total Number of duty posts	Percentage of number of duty posts to be filled			Remarks
				by direct recruitment [see rule 6 (1)(a)]	by promotion [see rule 6 (1)(b)]	by transfer of persons from other services [see rule 6 (1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Gazetted) Services- Class-I	1	---	100 %	---	---
2.	Deputy Director, Nursing (One post for each Regional Health Office)	---do---	7	---	100 %	---	---
3.	District Public Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.)	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Gazetted) Services- Class-II	54	25 %	75 %	---	---
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (1)	---do---	1	---	100 %	---	---
5.	Nursing Superintendent Grade-II	---do---	55	---	100 %	---	---
6.	Principal, L.H.V. Training Centre (1)/ Principal, Woman Health Worker Training Centre (22)	---do---	23	---	100 %	---	---

4. In Schedule-III, for Group-"C"-Nursing Services, the following Group shall be substituted, namely:-

"Group-"C" - Nursing Services

S. No.	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Essential Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Public Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.)	28 years	40 years	1. Ten years' experience of nursing services (under the Public Health and Medical Education Department). 2. M.Sc. Nursing/B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing, with a Post Graduation Degree/ Post Graduation Diploma in regular Hospital Management and Administration/ Public Health Management, from a recognized Institution.	

Note.- Educational qualifications of D.P.H.N.O. shall be, as per the amendments made in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2022.".

5. In Schedule-IV(B), for Group-"C"-Nursing Services, the following Group shall be substituted, namely:-

"Group-"C" - Nursing Services

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of post on which promotion is to be made	Essential qualifications and experience	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director, Nursing (One post for each Regional Health Office)	Joint Director, Nursing, (Directorate of Health Services)	Five years' experience	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him. -Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Public Health and Medical Education Department -Member 3. Commissioner, Health Services - Member 4. An officer representing Scheduled Tribes/ Scheduled Castes/ Other Backward Classes -Member
2.	District Public Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.)/Nursing Superintendent Grade-II/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior	Deputy Director, Nursing	1. Five years' experience on the present post. 2. M.Sc. Nursing/ B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing, with a Post Graduation Degree/Post Graduation Diploma in regular Hospital Management and Administration/ Public Health Management, from a recognized Institution.	---do---
3.	(a) Principal, L.H.V. Training Centre (1)/	Principal, Public Health	1. Five years' experience on the present post.	do

	Principal, Woman Health Worker Training Centre (Class-II) (b) Sister Tutor (Class III Services)	Orientation Training Centre, Gwalior	{For group (a) mentioned in column (2)} 2. Ten years' experience on the present post. [for group (b) mentioned in column (2)] Educational Qualification - M.Sc. Nursing/ B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing/Post Graduation Diploma in subjects relating to Nursing.	
4.	(a) Principal, L.H.V. Training Centre (1)/ Principal, Woman Health Worker Training Centre (Class-II) (b) Sister Tutor (Class III Services)	District Public Health Nursing Officer (D.P.H.N.O.)	1. Ten years' experience of nursing services (under the Public Health and Medical Education Department). 2. M.Sc. Nursing/ B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing, with a Post Graduation Degree/Post Graduation Diploma in regular Hospital Management and Administration/ Public Health Management, from a recognized Institution.	---do---
5.	Matron	Nursing Superintendent Grade-II	1. Five years' experience on the post of Matron. 2. M.Sc. Nursing/ B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/Post Graduation Diploma in subjects relating to Nursing.	---do---
6.	Sister Tutor/ Sister Teacher	Principal, L.H.V. Training Centre/ Principal, Woman Health Worker Training Centre	1. Five years' experience on the present post. 2. M.Sc. Nursing/ B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/Post Graduation Diploma in nursing in related subjects.	---do---

PHME-0030-2026-XVII-M-1

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. सम्पूर्ण नियमों में, जहाँ कहीं भी शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" आए हों, शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा" स्थापित किए जाएं।
2. अनुसूची - एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन एवं अनुसूची-चार के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

**"अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिए)**

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रधान परिचारिका/मेट्रन (महिला)	412	तृतीय श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 42700/-लेवल - 10
2.	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (महिला)	1096	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 36200/-लेवल - 9
3.	नर्सिंग ब्रदर	51	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 36200/-लेवल - 9
4.	सिस्टर ट्यूटर /सिस्टर शिक्षिका (महिला)	86	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 36200/-लेवल - 9
5.	नर्सिंग ऑफिसर (महिला)	16011	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 28700/-लेवल - 7

अनु क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	पुरुष स्टॉफ नर्स	667	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 28700/-लेवल - 7

- टीप :-**
1. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 3085, दिनांक 24 नवंबर, 2021 के अनुसार स्टॉफ नर्स (महिला) तथा नर्सिंग सिस्टर (महिला) के पदनामों को क्रमशः नर्सिंग ऑफिसर तथा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।
 2. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय- श्रेणी, परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो कि जी.एन.एम. प्रशिक्षित थी एवं समान वेतनमान प्राप्त कर रही हैं, को भी सम्मिलित किया गया है।
 3. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 26-6/85/17/मेडि-1, दिनांक 11 सितम्बर, 1985 के अनुसार नवनियुक्त डिप्लोमाधारी परिचारिकाएँ एवं डिग्रीधारी परिचारिकाएँ क्रमशः तीन एवं चार अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्र होगी।
 4. पुरुष स्टॉफ नर्स की नियुक्ति, जिला चिकित्सालय में विशिष्ट रूप से चिन्हित क्षेत्रों (ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थोपैडिक ऑपरेशन थियेटर, मेल ऑर्थोपैडिक वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड एवं आकस्मिक चिकित्सा इकाई) में की जाएगी।
 5. शासकीय सेवा के लिए अभ्यर्थियों को परिचारिका/प्रसाविका (मिडवाइफ) के रूप में मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

अनुसूची - दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियों
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रधान परिचारिका / मेट्रन (महिला)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा तृतीय-श्रेणी	412	—	100 प्रतिशत	—	—
2.	सिनियर नर्सिंग ऑफिसर (महिला)	—तदैव—	1096	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	—	—
3.	नर्सिंग ब्रदर	—तदैव—	51	—	100 प्रतिशत	—	—
4.	सिस्टर द्यूटर / सिस्टर शिक्षिका (महिला)	—तदैव—	86	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	—	—
5.	नर्सिंग ऑफिसर (महिला)	—तदैव—	16011	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत (विभागीय ए. एन.एम. / एल.एच.व्ही. के लिए, बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	—	—
6.	पुरुष स्टॉफ नर्स	—तदैव—	667	100 प्रतिशत	—	—	—

- टीप:-** 1. समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय- श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार जिन ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. को जी.एन.एम. प्रशिक्षण कराया गया है, केवल उनको ही पदोन्नति दी जाएगी। तदुपरांत उक्त नियमों में किये गये संशोधनों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. विभागीय ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षित अभ्यर्थी (एल.एच. व्ही.) जो कि जीवविज्ञान, भौतिक शास्त्र, एवं रसायन शास्त्र के साथ हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण हों को, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बी.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा- प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (पी.एन. एस.टी) के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा।
3. वर्तमान में 24 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष चार प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जाएगी।
4. बी.एस.सी. नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात्, अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया जाएगा।

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (महिला)	28 वर्ष	45 वर्ष	1. एम.एससी.(नर्सिंग) अथवा बी.एससी.नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग। 2. नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पांच वर्ष का सेवा अनुभव	संचालनालय स्तर पर चयन समिति 1. अपर/संयुक्त संचालक, –अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग) –सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अन्य अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी –सदस्य
2.	सिस्टर शिक्षिका/ सिस्टर ट्यूटर (महिला)	25 वर्ष	45 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–
3.	नर्सिंग आफिसर (महिला)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. भौतिक शास्त्र, रसायान शास्त्र एवं जीव विज्ञान में हायर सेकेन्डरी (10+2) के साथ बी.एस. (नर्सिंग) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 2. भौतिक शास्त्र, रसायान शास्त्र एवं जीव विज्ञान में हायर सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा पोस्ट बैसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) में प्रशिक्षित हों।	1. अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त नर्सिंग संस्था से अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य राज्यों के अर्ह अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। 2. विभाग द्वारा नर्सिंग संवर्ग की भर्ती हेतु निर्णय लिये जाने पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापित पदों पर उनके प्राप्त अंको की प्रतिशतता के आधार पर वरीयता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। 3. जिन छात्राओं के प्राप्तांकों की प्रतिशतता समान होगी उनकी वरिष्ठता जन्म तिथि

					से निर्धारित की जायेगी, जन्म तिथि समान होने की स्थिति में उनकी वरिष्ठता 10+ 2 प्रणाली से बारहवी कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमेस्ट्री में प्राप्त प्रतिशत अंको के आधार पर चयन किया जायेगा । 4. शेष रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जावेगी। 5. मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर प्रचलित भर्ती नियम एवं आरक्षण नियम लागू होंगे।
4	पुरुष स्टाफ नर्स	21 वर्ष	40 वर्ष	1 बी.एससी.(नर्सिंग) 10+2 (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी) प्रशिक्षित अथवा 2. पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग 10+2 (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी) प्रशिक्षित	प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड / कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा पुरुष स्टाफ नर्स के चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संचालनालय स्तर पर मेरिट क्रमानुसार काउंसलिंग के पश्चात संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जिला चिकित्सालयों में आबंटन किया जाएगा।

टीप - अनुक्रमोंक 1 और 2 पर अंकित ,सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (महिला) एवं सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर ट्यूटर (महिला) के पद , सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे ।

2. शासकीय सेवा के लिए अभ्यर्थियों को परिचारिका /प्रसाविका (मिडवाइफ) मे मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल से पंजीकृत होना चाहिए ।

अनुसूची-चार
(नियम 13 और 14 देखिये)
पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु क.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	अनिवार्य अर्हताएँ, तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीनियर नर्सिंग आफिसर (महिला)	प्रधान परिचारिका / मेट्रन	वर्तमान पद पर पांच वर्ष का अनुभव	संचालनालय स्तर पर पदोन्नति समिति 1. अपर/संयुक्त संचालक, - अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग) -सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी -सदस्य
2	नर्सिंग आफिसर (महिला)/ लेडी हेल्थ विजिटर जो कि जी.एन.एम. प्रशिक्षित थी तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय- श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त की गई थी और समान वेतनमान प्राप्त कर रही हैं को भी सम्मिलित किया गया है।	सीनियर नर्सिंग आफिसर - महिला	बी.एस.सी./पोस्ट बेसिक बी. एस.सी.(नर्सिंग) योग्यताधारी के लिए पांच वर्ष सेवा अनुभव। अथवा जी.एन.एम.योग्यताधारी के लिए सात वर्ष का सेवा अनुभव	- तदैव -

अनु क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	अनिवार्य अर्हताएँ, तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	पुरुष स्टाफ नर्स	नर्सिंग ब्रदर	10 वर्ष का सेवा अनुभव	— तदैव —
4.	नर्सिंग आफिसर (महिला)	सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर ट्यूटर /ट्यूटर — महिला	एम.एस.सी.(नर्सिंग) योग्यताधारी के लिए पांच वर्ष सेवा अनुभव। अथवा बी.एस.सी.(नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) योग्यताधारी के लिए सात वर्ष सेवा अनुभव।	— तदैव —
5.	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) /सहायक नर्स— सह-प्रसाविका (एकजलरी नर्स— कम मिडवाइफ) ए.एन.एम.	नर्सिंग आफिसर (महिला)	1 पांच वर्ष सेवा अनुभव। 2 विभागीय बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षित। 3 हायर सेकंडरी/10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ)	— तदैव —

टीपः— उपरोक्त नर्सिंग संवर्ग में चयन तथा पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों का परिचारिका/प्रसाविका (मिडवाइफ) में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से पंजीयन होना अनिवार्य होगा।”।

PHME-0030-2026-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nurses Service Recruitment Rules, 1989, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. throughout the rules, for the words "Public Health and Family Welfare", wherever they occur, the words "Public Health and Medical Education" shall be substituted.
2. For Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV the following Schedules shall be substituted respectively, namely:-

"SCHEDULE-I

(see rule 5)

Classification, Pay Scale and the number of posts included in the service

S. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal Nurse/Matron (Female)	412	Class-III	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 42700/- Level-10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Senior Nursing Officer (Female)	1096	Class-III	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 36200/- Level-9
3.	Nursing Brother	51	---do---	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 36200/- Level-9
4.	Sister Tutor/ Sister Teacher (Female)	86	---do---	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 36200/- Level-9
5.	Nursing Officer (Female)	16011	---do---	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 28700/- Level-7
6.	Male Staff Nurse	667	---do---	Pay of Seventh Pay Scale Rs. 28700/- Level-7

Note.- 1. According to the Order No. 3085, dated 24th November, 2021 of the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Medical Education Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, the designation of Staff Nurse (Female) and Nursing Sister (Female) is changed as Nursing Officer and Senior Nursing Officer, respectively.

2. The Lady Health Visitor, who were G.N.M. trained and were appointed and are receiving equal pay scale before the publication of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 are also included.
3. As per the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Medical Education Department's Circular No. F 26-6/85/17/Medi-1, dated 11th September, 1985, the newly appointed Diploma holder Nurses and Degree holder Nurses shall be eligible for three and four advance increments.
4. The appointment of Male Staff Nurse shall be made in District Hospital in the specially marked regions (Trauma Unit, Orthopedic Operation Theatre, Male Orthopedic Ward, Male Surgical Ward and Emergency Medical Unit).
5. For the Government service, the candidates must have registration as Nurse/Midwife in the Madhya Pradesh Nurses Registration Council."

Schedule-II
(see rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of post	Name of service	Total Number of duty posts	Percentage of number of duty posts to be filled			Remarks
				By direct recruitment [see rule 6 (1)(a)]	By promotion [see rule 6 (1)(b)]	By transfer of persons from other services [see rule 6 (1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Principal Nurse/Matron (Female)	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Non-Gazetted) Services, Class-III	412	---	100 %	---	---
2.	Senior Nursing Officer (Female)	---do---	1096	10 %	90 %	---	---
3.	Nursing Brother	---do---	51	---	100 %	---	---
1.	Sister Tutor/Sister Teacher (Female)	---do---	86	10 %	90 %	---	---
5.	Nursing Officer (Female)	---do---	16011	90 %	10 % (For departmental A.N.M./L.H.V., after passing the B.Sc. Nursing Training)	---	---
6.	Male Staff Nurse	---do---	667	100 %	---	---	---

Note.-

1. In accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nurses Service Recruitment Rules, 1989, as amended from time to time, only the A.N.M./L.H.V., who were given the G.N.M. training, shall be given promotion. Later on proceedings shall be taken in accordance with the amendments made in the said rules.
2. Departmental A.N.M. and Lady Health Visitor trained candidates (L.H.V.), who have passed Higher Secondary in Biology, Physics and Chemistry, shall be selected for training vide B.Sc. Nursing Entrance Test - Pre-nursing Selection Test (P.N.S.T.) conducted by the Public Health and Medical Education Department.
3. For the time being four percent seats every year, shall be reserved from 24 Government Nursing Colleges.
4. After passing B.Sc. Nursing Examination, the candidate shall be promoted to the vacant post of Nursing Officer.

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Age and Qualifications of the persons to be appointed by direct recruitment

S. No.	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Essential educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Senior Nursing Officer (Female)	28 years	45 years	1. M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing. 2. Five years' experience on the post of Nursing Officer.	Selection Committee on Directorate Level 1. Additional/Joint Director -Chairman 2. Deputy Director, Nursing -Member 3. An equivalent officer of Scheduled Tribes/ Scheduled Castes/ Other Backward Classes -Member
2.	Sister Teacher/Sister Tutor (Female)	25 years	45 years	---do---	---do---
3.	Nursing Officer (Female)	25 years	45 years	Must have passed 10+2 examination with Biology, Physics and Chemistry along with B.Sc. Nursing or Must have passed 10+2 examination with Biology, Physics, Chemistry and trained in Post Basic B.Sc. Nursing	1. Candidates must be passed from any Institution recognized by the Madhya Pradesh Nurses Registration Council. Candidates eligible from other States must have registration in the Madhya Pradesh Nurses Registration Council. 2. Upon the decision being taken up by the department for the recruitment in Nursing Cadre, the students, who have passed from the Government Nursing Colleges, shall be considered on the post of Nursing Officer on the basis of percentile of marks

					earned by them and the seniority shall be fixed accordingly. 3. The students who attain same percentage of marks, their seniority shall be ascertained by their date of birth, if their date of birth is found same, then their selection shall done by ascertaining the seniority, as per the marks obtained by them in the 10+2 examination in the stream of Biology, Physics and Chemistry. 4. The recruitment rules and the reservation rules shall be applicable, as they have been issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
	Male Staff Nurse	21 years	40 years	---do---	Madhya Pradesh Employees Selection Board shall conduct a selection test and the candidates, who pass such professional examination, shall be considered by making a merit list by the Directorate of Health Services in the District Hospitals.

Note.-

1. The posts of Senior Nursing Officer (Female) and Sister Teacher/Sister Tutor (Female), mentioned at serial numbers 1 and 2, shall be limited and filled by the departmental examination.
2. For Government service, the candidates must have the registration of Nurse/ Midwife in the Madhya Pradesh Nurses Registration Council.

SCHEDULE-IV

(see rule 13 and 14)

**Service Experience and the Members of the Departmental Promotion
Committee for promotion**

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Essential qualifications and experience	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Senior Nursing Officer (Female)	Principal Nurse/ Matron	Five years' experience on the present post.	Selection Committee at Directorate Level 1. Additional/Joint Director - Chairman 2. Deputy Director, Nursing - Member 3. An equivalent officer of Scheduled Tribes/ Scheduled Castes/ Other Backward Classes- Member
2.	Nursing Officer (Female) The Lady Health Visitor, who were G.N.M. trained and were appointed and are receiving equal pay scale before the publication of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 are also included.	Senior Nursing Officer	Five years' service experience for B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing qualification holder or Seven years' service experience for G.N.M. qualification holder.	---do---
3.	Male Staff Nurse	Nursing Brother	10 years' experience	---do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Nursing Officer (Female)	Sister Teacher/ Sister Tutor/ Tutor - Female	Five years' service experience for M.Sc. (Nursing) qualification holder. or Seven years' service experience for B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing qualification holder.	---do---
5.	Female Health Visitor (Lady Health Visitor)/Assistant Nurse-cum-Nurse (Auxiliary Nurse- cum-Midwife) A.N.M.	Nursing Officer (Female)	1. Five years' service experience. 2. Departmental B.Sc. Nursing trained. 3. Higher Secondary/ 10+2 (Biology, Physics and Chemistry).	---do---

Note.- For selection and promotion in the abovesaid Nursing Cadres, the candidates must possess registration of Nurse/ Midwife in the Madhya Pradesh Nurses Registration Council.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलिका निगम नागर, उपसचिव.